

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	जी नहीं।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	सीधी जिले के वनमण्डल सीधी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत ग्राम मायापुर खुटेली और रोड से बिछरी मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित वनभूमि महाप्रबंधक म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई सीधी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के अंतर्गत प्रभावित होने वाली वनभूमि वनमण्डल सीधी के वन परिक्षेत्र बहरी के कक्ष क्रमांक पी-901 रकबा 0.864 हे. एवं राजस्व वनभूमि ग्राम बिछरी खसरा नं. 7,8,9,10,11,78,80 रकबा 0.816 हे. कुल प्रभावित भूमि रकबा 1.680 हे. है। वनमण्डलाधिकारी सीधी द्वारा आवेदक संस्थान महाप्रबंधक म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-02 बैढन को प्रस्तावित वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तावित प्रयोजन के उपयोगार्थ वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत अनुशंसित किया गया है। वनमंडलाधिकारी सीधी द्वारा की गयी अनुशासा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

तिथि : 10.03.2021
स्थान: सीवा


मुख्य वन संरक्षक
सीधी जिला सीवा म.प.
(महोदय: सीवा म.प.)

Recommendation of CCF

सीधी जिले के वनमण्डल सीधी के वन परिक्षेत्र बहरी के अंतर्गत प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत ग्राम मायापुर खुटेली औआर रोड से बिछरी मार्ग निर्माण में प्रभावित हो रही वनभूमि महाप्रबंधक म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण कियान्वयन इकाई सीधी को उपयोग में वन परिक्षेत्र बहरी के कक्ष क्रमांक पी-901 रकबा 0.864 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि ग्राम बिछरी खसरा नं. 7,8,9,10,11,78,80 रकबा 0.816 हेक्टेयर कुल रकबा 1.680 हेक्टेयर प्रभावित हो रही वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु वनमंडलाधिकारी सीधी द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।


10/3/2021
मुख्य वन संरक्षक
सीधी वृत्त सीधी (म.प्र.)
3